भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **905**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

भंडारण गृहों की क्षमता

905. श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री दिलीप शइकीया:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री लुम्बा राम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और उर्वरकों के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की उपलब्धता में अनिश्चितता से निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कच्चे माल के लिए विद्यमान भंडारण घरों की भंडारण क्षमता उर्वरक संयंत्रों को कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में उक्त भंडारण गृहों की क्षमता बढ़ाने की किसी योजना पर काम कर रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(**क**) **और** (**ख**): यूरिया के संबंध में, यूरिया के उत्पादन के लिए सभी यूरिया इकाइयों द्वारा फीडस्टॉक के रूप में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में, सभी इकाइयों में गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी है और यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। इकाइयों द्वारा उत्पादित यूरिया पर सब्सिडी की गणना के लिए प्राकृतिक गैस की लागत उस पर करों सहित, शामिल की जाती है। तदनुसार, प्राकृतिक गैस की कीमत में उतार-चढ़ाव का प्रभाव किसानों पर नहीं डाला जाता है क्योंकि यूरिया की कीमत 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग (नीम लेपन प्रभार और लागू करों को छोड़कर) के सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)

पर निर्धारित की जाती है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है और इस तरह वह इस स्कीम के लाभार्थी हैं।

सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, किसानों को उर्वरकों की उलब्धता बेहतर बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त पीएंडके उर्वरकों पर उनके पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन (एन), फॉसफोरस (पी), पोटैशियम (के) और सल्फर (एस) के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि उत्पादकों/आयातकों को प्रदान की जाती है। पीएण्डके उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं और कंपनियां अपने कारोबार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरक की कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रमुख उर्वरकों और कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मूल्य अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, पीएण्डके उर्वरकों के लिए वर्ष में दो बार एनबीएस दरें निर्धारित करते समय सरकार उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को समाहित करती है।

भारत सरकार उर्वरक के कच्चे माल से समृद्ध देशों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करती है और उर्वरक समृद्ध देशों में भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों के बीच कई दीर्घकालिक समझौते (एलटीए) करने की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उर्वरक कंपनियों ने उर्वरक समृद्ध देशों में संयुक्त उद्यम (जेवी) भी बनाए हैं, जैसे ओमान में ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी (ओमिफ्को), सेनेगल में इंडस्ट्रीज चिमिक्स डु सेनेगल (आईसीएस) और जॉर्डन में जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी (जेआईएफसीओ)। संयुक्त उद्यमों की सूची **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है। इन संयुक्त उद्यमों और दीर्घकालिक समझौतों का उद्देश्य उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना और वैश्विक उर्वरक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाना है।

(ग), (घ) और (ड.): उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्रियों और मध्यवर्तियों जैसे रॉक फॉस्फेट, सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया के भंडारण की क्षमता संयंत्र को चालू करने से पहले योजना चरण में तैयार की जाती है। कच्चे माल और मध्यर्तियों की इष्टतम क्षमता विभिन्न कारकों के आधार पर तय की जाती है जिसमें संयंत्र की दैनिक क्षमता, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में कच्चे माल की उपलब्धता, संयंत्र की अवस्थिति, इन्वेंट्री लागत, बाजार से पुनर्प्राप्ति चक्र आदि जैसे कारक (पंरतु इस तक सीमित नहीं) शामिल हैं। यदि कोई संयंत्र तैयार उत्पाद की अपनी क्षमता में सुधार करता है तो भंडारण क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि की जाती है। विभिन्न कच्ची सामग्रियों की भंडारण क्षमता को 15 से 60 दिनों तक उत्पादन दर को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। प्राकृतिक गैस के मामले में, भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसकी आपूर्ति गैस आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गैस पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती है।

*****

अनुलग्नक 'क'

भारतीय उर्वरक कंपनियों द्वारा विदेशों मे बनाए गए संयुक्त उद्यमों की सूची

क्रम.	संयुक्त उद्यम	भागीदार कंपनियां
1.	जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी (जेपीएमसी) - जॉर्डन	जेपीएमसी (48%), इफको (27% इक्विटी) और किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग (25%) (इफको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
2.	इंडो मारोक फ़ॉस्फ़ोर एसए (आईएमएसीआईडी), मोरक्को	ओसीपी एसए- मोरक्को, चंबल और टाटा केमिकल्स लिमिटेड (टीसीएल)-प्रत्येक की शेयरधारिता 33.33%
3.	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी (ओएमआईएफसीओ), ओमान	ओमान ऑयल कंपनी (OOC- 50%) इफको (25%) और कृभको (25%)
4.	बाओबाब माइनिंग एंड केमिकल कॉर्पोरेशन (बीएमसीसी), सेनेगल	कोरोमंडल केमिकल्स लिमिटेड की बीएमसीसी में 45% हिस्सेदारी है।
5.	आईसीएस सेनेगल, सेनेगल	इंडोरामा कॉरपोरेशन (78%), इफको (6.78%) और भारत सरकार (0.22%)
6.	ट्यूनीशिया, इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (टीआईएफईआरटी) ट्यूनीशिया	जीसीटी, सीपीजी (ट्यूनीशिया-70%), सीआईएल (15% इक्विटी) और जीएसएफसी (15% इक्विटी)
7.	फ़ॉस्कोर, दक्षिण अफ़्रीका	फॉस्कोर में सीआईएल की 14% स्वेट इक्विटी है।
8.	कर्णलाइट रिसोर्सेज, कनाडा	जीएसएफसी के पास कर्णलाइट में 47.73% स्वामित्व की हिस्सेदारी है,

******